2009:सीजीएचसी:6951

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या **1626 / 2005**

भगवान प्रसाद कुशवाहा एवं अन्य

बनाम

नारायण प्रसाद कुशवाहा एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 10-02-2009 को निर्णय एवं आदेश की उद्घोषणा हेतु सुचिबद्ध करें ।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

09 - 02 - 2009

2009:सीजीएचसी:6951

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या **1626 / 2005**

याचिकाकर्ता : 1. भगवान प्रसाद कुशवाहा पिता स्व. रामस्वरूप कुशवाहा उम्र लगभग

प्रतिवादी 57 वर्ष ।

2. सुरेश कुमार, पिता स्वर्गीय कमला प्रसाद, उम्र लगभग 25 वर्ष ।

3. शैलेश कुमार पिता स्वर्गीय कमला प्रसाद, उम्र लगभग 25 वर्ष ।

4. अनीता पिता स्वर्गीय कमला प्रसाद, उम्र लगभग 22 वर्ष ।

5. फुलफर बाई पत्नी स्वर्गीय कमला प्रसाद, उम्र लगभग 48 वर्ष ।

सभी व्यवसाय से - कृषक, जाति - कोइरी, निवासी - ग्राम भुनेशपुर, पुलिस थाना रामानुजनगर, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(प्रतिवादीगण)

बनाम

उत्तरवादी : 1. नारायण प्रसाद कुशवाह पिता स्व. रामस्वरूप कुशवाह, उम्र लगभग 40

वादी वर्ष, व्यवसाय - कृषि, निवासी - ग्राम

भुनेश्वरपुर, थाना रामानुजनगर,

तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।

(वादीगण)

प्रतिवादी संख्या 6 : 2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, सरगुजा, स्थान एवं पोस्ट

अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग. ।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता - श्री. ए.के. प्रसाद ।

उत्तरवादी संख्या 1 - नोटिस तामिल होने के बावजूद, उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तरवादी संख्या 2 - श्री अरविंद दुबे, शासकीय अधिवक्ता ।

आदेश

(10 फरवरी, 2009 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों ने दिनांक 04-01-2005 (अनुलग्नक पी / 5) के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों संख्या 1, 2, 3 और 5 द्वारा दायर लिखित कथन को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था कि उन्हें निर्धारित समय के बाद दायर किया गया है ।

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि उत्तरवादी संख्या 1 / वादी ने दिनांक 03-09-2003 (03-08-2003) (अनुलग्नक पी / 1) को घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया था । प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 07-04-2004 को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई । दिनांक 29-10-2003 को उपस्थिति के लिए नोटिस तामिल किए गए । लिखित कथन दाखिल करने की अंतिम तिथि 07-04-2004 दी गई । चूँकि याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों अपना लिखित कथन दाखिल नहीं कर सके, इसलिए मामले की सुनवाई दिनांक 15-05-2004 को नियत की गई । दिनांक 15-05-2004 को याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, "व्य. प्र. सं") की धारा 148 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत एक आवेदन वास्ते अपने लिखित कथन के साथ निर्धारित समय के बाद भी अभिलेख पर लेने के लिये प्रस्तुत किया । आवेदन में कहा गया था कि लिखित कथन दिनांक 07-04-2004 को या उससे पहले दाखिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों के अधिवक्ता की आँखों का ऑपरेशन हुआ था । दिनांक 04-01-2005 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग II, सूरजपुर ने याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों संख्या 1, 2, 3 और 5 द्वारा दिनांक 15-05-2004 को दाखिल लिखित कथन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया । इस प्रकार, यह याचिका दिनांक 04-01-2005 के आदेश को अभिखंडित करने की मांग करती हुये (अनुलग्नक P/5) प्रस्तुत की गई है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. नोटिस तामिल होने के बावजूद उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, अभिकथनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस मामले में प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों का लिखित कथन 90 दिनों की अवधि के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है ।

5. सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, टी.एन. बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय (तीन माननीय न्यायाधीशों) ने व्य. प्र. सं के आदेश VIII नियम 1 के नए संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह प्रावधान निर्देशात्मक है, हालाँकि, लिखित कथन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने वाला आदेश नियमित रूप से नहीं दिया जा सकता। कंडिका 21 इस प्रकार है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. इस प्रावधान की व्याख्या करने में, आदेश 8 नियम 10 से भी समर्थन प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि जहाँ कोई पक्षकार, जिससे नियम 1 या नियम 9 के अंतर्गत लिखित कथन अपेक्षित है, उसे न्यायालय द्वारा अनुमत या निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा, या मुकदमे के संबंध में ऐसा अन्य आदेश देगा जैसा वह उचित समझे । इस प्रावधान के तहत लिखित कथन दाखिल न करने पर, न्यायालय को प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय सुनाने या मुकदमे के संबंध में ऐसा कोई अन्य आदेश पारित करने का विवेकाधिकार दिया गया है जो वह उचित समझे । प्रावधान के संदर्भ में, "करेगा" शब्द के प्रयोग के बावजूद, न्यायालय को प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय सुनाने या न सुनाने का विवेकाधिकार दिया गया है, भले ही लिखित कथन दाखिल न किया गया हो और इसके बजाय वह वाद के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे । आदेश 8 नियम 1 और नियम 10 के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को

लागू करना आवश्यक है । इसका प्रभाव यह होगा कि नियम 10 आदेश 8 के तहत, न्यायालय को अपने विवेकानुसार प्रतिवादी को आदेश 8 नियम 1 में प्रदत्त 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति देने का अधिकार होगा । आदेश 8 नियम 10 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि नब्बे दिन की अवधि समाप्त होने के बाद और समय नहीं दिया जा सकता । न्यायालय को " वाद के संबंध में ऐसा आदेश देने की व्यापक शक्ति प्राप्त है जैसा वह उचित समझे" । अतः, स्पष्ट रूप से, आदेश 8 नियम 1 का वह प्रावधान, जिसमें लिखित कथन दाखिल करने के लिए 90 दिनों की ऊपरी सीमा का प्रावधान है, निदेशात्मक है । इतना कहने के बाद, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि लिखित कथन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का आदेश साधारण रूप से नहीं दिया जा सकता । समय केवल असाधारण रूप से कठिन मामलों में ही बढ़ाया जा सकता है । समय बढ़ाते समय, यह ध्यान में रखना होगा कि विधायिका ने 90 दिनों की ऊपरी समय-सीमा निर्धारित की है । समय बढ़ाने के लिए न्यायालय के विवेक का हमेशा और साधारण रूप से प्रयोग नहीं किया जाएगा कि आदेश 8 नियम 1 द्वारा निर्धारित अवधि निष्प्रभावी हो जाए ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. कैलाश बनाम नन्हकू एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय (तीन माननीय न्यायाधीशों) ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया :

"40. हमें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में कुछ सार नज़र आती है । हमारी राय में, समाधान – और विधि का सही सिद्धांत - कहीं बीच में है और यही हम प्रस्तावित करते हैं आदेश 8 नियम 1 की भाषा पर एक उचित व्याख्या रखते हुए ।

41. आदेश 8 के नियम 1 को वर्तमान स्वरूप में लागू करने के उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए और जिस संदर्भ में प्रावधान रखा गया है, हमारा मत है कि प्रावधान को निर्देशात्मक माना जाना चाहिए न कि अनिवार्य । असाधारण परिस्थितियों में, न्यायालय लिखित कथन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान कर सकता है, हालाँकि प्रावधान में उल्लिखित 30 दिन और 90 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है । हालाँकि, यह गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि हम प्रावधान की संपूर्ण शक्ति और प्रभाव - संपूर्ण जीवन और शक्ति - को निष्प्रभावी कर रहे हैं । न्यायालयो में प्रतिवादियों द्वारा अपनाई जाने वाली विलंबकारी रणनीतियाँ अब आम बात हो गई हैं क्योंकि विलंब से उन्हें फ़ायदा होता है । निर्वाचन विवादों में यह और भी ज़्यादा है क्योंकि निर्वाचन याचिका की सुनवाई में विलंब करके, सफल उम्मीदवार अपने चुने गए कार्यकाल के एक बड़े हिस्से का, अगर पूरी तरह से नहीं, आनंद ले सकता है, भले ही अंत में वह हार जाए । इसलिए, मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को स्थगन की प्रार्थना पर दृढ़ता से विचार करना चाहिए । प्रावधान द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक समय बढ़ाने की मांग करने वाले प्रतिवादी को आमतौर पर छूट नहीं दी जा सकती ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. सामान्यतः, आदेश 8 नियम 1 द्वारा निर्धारित समय-सारिणी का पालन किया जाना चाहिए । प्रतिवादी को सतर्क रहना चाहिए । जैसे ही उसे समन की रिट तामील हो, उसे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन में निर्धारित तिथि का इंतज़ार किए बिना, सुनवाई की नियत तिथि पर अपना बचाव तैयार करने और लिखित कथन दाखिल करने के लिए कदम उठाने चाहिए । प्रतिवादी द्वारा न्यायालय से मांगा गया समय विस्तार, चाहे 30 दिन या 90 दिन के भीतर हो, जैसा भी मामला हो, केवल साधारण रूप से और केवल मांगने पर नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर तब,जब 90 दिनों की अवधि समाप्त

हो गई हो । विस्तार केवल अपवाद के रूप में तथा प्रतिवादी द्वारा बताए गए कारणों पर ही किया जा सकता है, तथा न्यायालय द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए लिखित रूप में भी दर्ज किया जा सकता है । यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संहिता के आदेश 8 नियम 1 द्वारा निर्धारित समय-सारिणी से विचलन की अनुमति इसलिए दी जा रही थी क्योंकि परिस्थितियाँ असाधारण थीं, और प्रतिवादी के नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न हुई थीं और न्याय के हित में ऐसा विस्तार आवश्यक था और यदि समय नहीं बढ़ाया गया तो घोर अन्याय होगा ।"

7. इसके बाद, आर. एन. जादी एवं ब्रदर्स एवं अन्य बनाम सुभाषचंद्र (दो माननीय न्यायाधीश - माननीय डॉ. अरिजीत पसायत एवं माननीय डी. के. जैन, न्यायधीश) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा आधारित सिद्धांत को निम्नानुसार अनुमोदित किया :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"6-14. प्रक्रियात्मक विधि अत्याचारी नहीं, बल्कि सेवक होना चाहिए, बाधा नहीं, बल्कि न्याय में सहायक होना चाहिए । प्रक्रियात्मक निर्देश न्याय प्रशासन में दासियाँ हैं, मालकिन नहीं, स्नेहक हैं, प्रतिरोधी नहीं ।

6-15. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि आदेश 8 के नियम 1 से संलग्न प्रावधान के तहत न्यायालय की शक्ति 'नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी' शब्दों द्वारा परिसीमित है, लेकिन समय न बढ़ाने से होने वाले परिणामों के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, यद्यपि उन्हें आवश्यक निहितार्थ के रूप में पढ़ा जा सकता है । केवल इसलिए कि विधि का कोई प्रावधान आवश्यक चरित्र को दर्शाते हुए नकारात्मक भाषा में लिखा गया है, वह अपवादों से रहित नहीं है। जब न्यायालयों से प्रावधान की प्रकृति की व्याख्या करने का अनुरोध किया जाता है, तो वे

उस संपूर्ण संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्रावधान अधिनियमित हुआ था, उसे निर्देशिका मान सकते हैं, भले ही वह नकारात्मक रूप में लिखा गया हो ।"

माननीय श्री पी.के. बालासुब्रमण्यन, न्यायाधीश ने माननीय दो न्यायाधीशों के साथ सहमति जताते हुए निम्नलिखित सिद्धांत अवधारित किया :

"11. यह सर्वविदित है कि प्रतिवादियों द्वारा अपने लिखित कथन उचित समय के भीतर दाखिल न करके वाद को लंबा खींचा जा रहा था । हम ऐसे मामलों से अनभिज्ञ नहीं हैं जहाँ वाद दायर करने के दो या तीन साल के भीतर भी लिखित कथन दाखिल नहीं किए गए । संहिता की योजना के अनुसार, न्यायालयों द्वारा अपेक्षित नियंत्रण नहीं रखा जा रहा था, जिसके कारण बचाव पक्ष में अभिवचन दायर करने के मामले में ढिलाई बरती जा रही थी । इसी संदर्भ में, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों में संशोधन किया गया, जिसका प्रशंसनीय उद्देश्य वाद के निराकरण में देरी से बचना था । संशोधित आदेश 8 नियम 1 लिखित कथन दाखिल करने की समय-सीमा तय करता है । लेकिन, संसद ने केवल आदेश 8 नियम 1 में संशोधन करके ही काम नहीं किया, यानी लिखित कथन दाखिल करने की समय-सीमा लागू कर दी और लिखित कथन दाखिल करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने की न्यायालय की शक्ति को समन की तामील की तारीख से 90 दिन तक सीमित कर दिया । संहिता की धारा 148 के तहत न्यायालय को दी गई समय सीमा बढ़ाने की शक्ति को मूल रूप से निर्धारित या दी गई तिथि से 30 दिनों की बाहरी समय-सीमा लागू करके सीमित कर दिया गया था । इस प्रकार, लिखित कथन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति को सीमित या कम करने की विधायी मंशा इन प्रावधानों के संयुक्त पठन से स्पष्ट है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह सच है कि प्रक्रिया न्याय की दासी है । न्यायालय को हमेशा न्याय करने के प्रति सचेत रहना चाहिए और केवल तकनीकी आधारों पर जीत को रोकना चाहिए । लेकिन संहिता में किए गए संशोधनों और टाले जाने वाले नुकसान के संदर्भ में इस अवधारणा को कितनी दूर तक बढ़ाया जा सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए । मुझे पता है कि मैं कैलाश बनाम नन्हकू मामले में उस निर्णय का पक्षकार था जिसमें कहा गया था कि यह प्रावधान निर्देशात्मक था, आज्ञापक नहीं । लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ एक प्रक्रियात्मक प्रावधान को भी आज्ञापक माना जा सकता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी उपयुक्त मामले में, न्यायालय के पास उस प्रावधान की कठोरता को कम करने या वास्तविक कठिनाई को कम करने के लिए अपने क्षेत्रधिकार का प्रयोग करने का शक्ति होता है । इसी संदर्भ में कैलाश बनाम नन्हकू मामले में कहा गया था कि 90 दिनों से अधिक समय का विस्तार स्वतः नहीं होता और न्यायालय को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह संतुष्ट होना होगा कि संहिता द्वारा निर्धारित समय-सीमा और संहिता की धारा 148 के अनुसार न्यायालय में निहित शक्ति से विचलित होने के लिए पर्याप्त औचित्य मौजूद है । कैलाश का निर्णय इस बात के लिए कोई दृष्टान्त नहीं है कि विधि द्वारा अनुमत अवधि की समाप्ति के बाद, लिखित कथन को सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाए ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. बोलेपांडा पी. पूनाचा एवं अन्य बनाम के.एम. मदापा मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत अवधारित किया :

"13. ऐसे मामलों में न्यायालय के पास व्यापक विवेकाधिकार होता है । हालाँकि, उसे न्याय के अंतिम कारण की पूर्ति करनी चाहिए । यह सच हो सकता है कि आगे मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए । यह भी सच हो सकता है कि किसी वाद में कई वाद-कारणों का संयोजन अनुमेय हो ।

हालाँकि, न्यायालय को विवेकाधीन क्षेत्रधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए । न्याय का पालन करना अंतिम लक्ष्य मानते हुए, संविधिक सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए । अनुतोष प्रदान करना प्रत्येक मामले से संबंधित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा । न्यायालय, निस्संदेह, गंभीर अन्याय या अपूरणीय क्षति के प्रश्नों पर विचार करेगा, लेकिन फिर भी उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि अभिवचनों में संशोधन का प्रावधान सभी परिस्थितियों में अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है । एक वाद हेतुक को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । सामान्यतः, पूर्व में की गई अभिवचनों में की गई स्वीकृति के प्रभाव को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखें: आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स पायनियर बिल्डर्स, आंध्र प्रदेश[(2006) 9 स्केल 520] और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य [2006 (9) स्केल 597] और हिम्मत सिंह एवं अन्य बनाम आई.सी.आई. इंडिया लिमिटेड एवं अन्य, [2008 (2) स्केल 152] ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त उद्धृत मामलों में एक सामान्य सूत्र यह है कि यद्यपि व्य. प्र. स. के आदेश □□□□ नियम 1 का प्रावधान प्रक्रियात्मक और निर्देशात्मक है, हालाँकि, 90 दिनों की अवधि के बाद लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति न्याय प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए ठोस कारणों से दी जा सकती है, न कि साधारण रूप से ।

10. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों को दिनांक 07-04-2004 को या उससे पहले लिखित कथन दाखिल करने का समय दिया गया था । लिखित कथन दिनांक 07-04-2004 को दाखिल नहीं किया जा सका, लेकिन इसे दिनांक 15-05-2004 को एक आवेदन के साथ दायर किया गया था, जिसमें लिखित कथन को अभिलेख पर लेने का अनुरोध किया गया था । यह आधार कि याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों के अधिवक्ता

अपनी आँखों के ऑपरेशन के कारण लिखित कथन तैयार और दाखिल नहीं कर सके, पर्याप्त और वज़नदार आधार है, जिसे याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों के नियंत्रण से बाहर माना जा सकता है ।

11. यह सर्वविदित है कि लिखित कथन दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा 90 दिन है । हालाँकि, अतिरिक्त समय बढ़ाने के न्यायालय के विवेक का प्रयोग हमेशा और साधारण रूप से नहीं किया जाएगा कि व्य. प्र. स. के आदेश 8 नियम 1 द्वारा निर्धारित अवधि निष्प्रभावी हो जाए । यह एक ऐसा मामला है जहाँ आधार ऐसे थे जिनके कारण अतिरिक्त समय प्रदान करना आवश्यक था ।

12. उपर्युक्त कारणों से, यह याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिवादियों / याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 15-05-2004 को दायर लिखित कथन अभिलेख में लिया जाएगा । विलंब के लिए, प्रतिवादी संख्या 1 / वादी पर 10,000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, जो इस आदेश की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं / प्रतिवादियों द्वारा देय होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही**

अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur